विदेशी निवेश को आकर्षित करने के नियम सरल

बढ़ते हुए चालू खाते घाटे को कम करने के लिए विदेशी निवेशकों द्वारा सरकारी और कॉरपोरेट बाँडों में विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) को आकर्षित करने के लिए सरकार ने नियमों को सरल बनाने की घोषणा की है।

एक अप्रैल से लागू यह कदम विदेशी संस्थागत निवेशकों की प्रमुख मांगों में से एक थी। सरकार, सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक ने बाँडों के लिए समग्र सीमा के भीतर एफआईआई के लिए उपसीमाओं को हटाने का निर्णय किया है।

संपादकों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री श्री पी. चिंदबरम ने घोषणा की कि अब से केवल दो सीमाएं होंगी। एक सरकारी प्रतिभूतियों में 25 बिलियन निवेश की सीमा होगी। इसके अलावा कॉरपोरेट ब्रांडों के लिए 51 बिलियन डॉलर की सीमा होगी जिसमें एफआईआई (25 बिलियन डॉलर), पात्र विदेशी निवेशकों (एक बिलियन डॉलर) और दीर्घावधि अवसंरचना ब्रांडों में एफआईआई के लिए 25 बिलियन डॉलर की मौजूदा सीमा शामिल है।

श्री चिदंबरम ने कहा "केवल विदेशी पूंजी प्रवाह के जरिए ही चालू खाते के घाटे (सीएडी) का वित्तियन किया जा सकता है।" उन्होंने कहा कि चालू खाते घाटे , जिसके चालू वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत होने की आशंका है, की पूर्ति के लिए विदेशी संस्थागत पूंजी प्रवाह और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ज़रूरी है। पूंजी प्रवाह में अधिकता से रूपए के गिरावट पर नियंत्रण रखा जा सकेगा और आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(स्रोत- एजेंसियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा नई दिल्ली में 23-24 मार्च को आयोजित संपादकों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले रोजगार समाचार के संपादक श्री इरशाद अली और श्री मारूफ आलम की रिपोर्ट के आधार पर)

राष्ट्रीय संपादक सम्मेलन में वित्त मंत्री